मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई 2012-आषाढ़ 22, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर-452003

इन्दौर, दिनांक 22 जून, 2012

वि. क्र./110.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, सन् 1973 की धारा-50 की उप-धारा (2) के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा यह प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है कि ग्राम-पालाखेड़ी, बड़ा बांगड़दा, टिगरिया बादशाह, तहसील हातोद, जिला इन्दौर, ग्राम-भंवरासला एवं लिम्बोदागारी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर की भूमि के संबंध में इन्दौर विकास प्राधिकारी निम्नानुसार उल्लेखित चतु:सीमा के क्षेत्र से संबंधित भूमि पर विकास योजना 2021 में निर्धारित भूमि उपयोग अनुसार आवासीय एवं मार्ग के विकास बाबत एक नगर विकास योजना बनाने का आशय रखता है, इस योजना को योजना क्रमांक-176 दिया गया है.

योजना क्रमांक-176 की चतु:सीमा

उत्तर में.— ग्राम-भंवरासला, लिम्बोदागारी तथा टिगरिया बादशाह में विद्यमान खण्डवा-रतलाम मीटर गेज रेल्वे लाईन तक.

दक्षिण में.— ग्राम-बड़ा बांगड़दा में विकास योजना 2021 में प्रस्तावित 45 मीटर चौड़े मार्ग की भूमि सहित.

पूर्व में.— प्राधिकारी की योजना क्रमांक 169-बी (सुपर कारीडोर) सीमा रेखा तक.

पश्चिम में.— विकास योजना 2021 में प्रस्तावित सुपर कारीडोर की सीमा से 500 मीटर चौड़ाई तक की भूमि.

चन्द्रमौलि शुक्ला,
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

(67-बी.)

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

पहले मेरा नाम बिनोद कुमार अग्रवाल (Binod Kumar Agarwal) था, जिसे बदलकर बिनोद कुमार मित्तल (Binod Kumar Mittal) कर लिया है. अब मुझे मेरे नये नाम Binod Kumar Mittal से लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(बिनोद कुमार अग्रवाल)

नया नाम :

(बिनोद कुमार मित्तल)
(Binod Kumar Mittal)
F. No. 302, Inner Court,
Indraprastha, Airport Road, Bhopal (M. P.).

(68-बी.)

CHANGE OF NAME

Know all men that I, Linet Parathattal D/o shri Augusthy parathattal R/o St. Joseph's Convent, Housing Board Road, Hoshangabad, M. P. has changed my former name "Philomina" to "Linet" and henceforth I shall be known, named and addressed as Linet Parathattal in all records, deeds and writings.

Former Name: **(PHILOMINA P. A.)**

New Name: **(LINET PARATHATTAL)**

(69-B.)

CHANGE OF NAME

Know all men that I, Rose Paul D/o shri Paul Vattamattathil R/o St. Joseph's Convent, Housing Board Road, Hoshangabad, M. P. has changed my former name "Rosamma" to "Rose" and henceforth I shall be known, named and addressed as Rose Paul in all records, deeds and writings.

Former Name: **(ROSAMMA V. P.)**

New Name: **(ROSE PAUL)**

(70-B.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, रामनारायण प्रसाद आत्मज श्री रामेश्वर प्रसाद, निवासी पुलिस लाईन, शाहजहानाबाद, भोपाल मध्यप्रदेश में निवासरत हूँ. सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी शैक्षणिक अंकसूचियों में मेरा नाम रामनारायण श्रीवास्तव पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव त्रुटिवश दर्ज किया गया, जबकि मेरा उपनाम प्रसाद है.

अतः भविष्य में मुझे रामनारायण प्रसाद पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(रामनारायण श्रीवास्तव)

नया नाम :

(रामनारायण प्रसाद)

(71-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अशोक वसगडेकर पिता रामचंद्र वसगडेकर था, जो अब परिवर्तित होकर अशोक कुलकर्णी हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम अशोक कुलकर्णी के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(अशोक वसगडेकर)
पिता रामचंद्र वसगडेकर

नया नाम :

(अशोक कुलकर्णी)
475-EK, स्कीम नं. 54, विजय नगर,
इन्दौर (म. प्र.).

(72-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अनघा वसगडेकर पति अशोक वसगडेकर था, जो अब परिवर्तित होकर अनघा कुलकर्णी हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम अनघा कुलकर्णी के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(अनघा वसगडेकर)
पति अशोक वसगडेकर

नया नाम :

(अनघा कुलकर्णी)
475-EK, स्कीम नं. 54, विजय नगर,
इन्दौर (म. प्र.).

(73-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अभिजीत वसगडेकर पिता अशोक वसगडेकर था, जो अब परिवर्तित होकर अभिजीत कुलकर्णी हो गया है. अत: भविष्य में मुझे मेरे नये नाम अभिजीत कुलकर्णी के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(अभिजीत वसगडेकर)
पिता अशोक वसगडेकर

नया नाम :

(अभिजीत कुलकर्णी)
475-EK, स्कीम नं. 54, विजय नगर,
इन्दौर (म. प्र.).

(74-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम शिवदत्त वसगडेकर पिता अशोक वसगडेकर था, जो अब परिवर्तित होकर शिवदत्त कुलकर्णी हो गया है. अत: भविष्य में मुझे मेरे नये नाम शिवदत्त कुलकर्णी के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(शिवदत्त वसगडेकर)
पिता अशोक वसगडेकर

नया नाम :

(शिवदत्त कुलकर्णी)
475 स्कीम नं. 54, विजय नगर,
इन्दौर (म. प्र.).

(75-बी.)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, ओशो आदित्य सक्सेना पुत्र श्री अनिल किशोर सक्सेना, निवासी 6, धनावत स्टेट गोले का मंदिर ने वर्ष 2006 में अपना पासपोर्ट (पासपोर्ट कार्यालय भोपाल म. प्र.) से बनवाया था, जिसमें कि मैंने अपना पूर्व में जाना जाने वाला नाम ओशो सक्सेना ही उल्लेख किया था, तदोपरांत से 2009 में मैंने सेकेन्ड्री स्कूल परीक्षा कक्षा दसवीं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण की, जिसमें मेरा नाम ओशो सक्सेना के स्थान पर ओशो आदित्य सक्सेना उल्लेख करना प्रारम्भ किया गया जोकि उक्त परीक्षा की अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र में उल्लेखित है तथा बाद की समस्त अंकसूचियों तथा प्रमाण-पत्रों में अंकित है. अत: भविष्य में मुझे पूर्व नाम ओशो सक्सेना के स्थान पर ओशो आदित्य सक्सेना के नाम से ही जाना जावे.

पुराना नाम :

(ओशो सक्सेना)

नया नाम :

(ओशो आदित्य सक्सेना)
S/o श्री अनिल किशोर सक्सेना,
निवासी-6, धनावत स्टेट, गोले का मंदिर,
ग्वालियर (म. प्र.).

(76-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रमेश कुमार मेहरा (गोत्र-बाउसिया) मेरे पुत्र शुभम् बाउसिया का उपनाम परिवर्तन कर शुभम् बजाज कर लिया है. अत: भविष्य में मेरे पुत्र को शुभम् बजाज नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जावे.

रमेश कुमार मेहरा (बाउसिया) (पिता)
कमलकुंज, टी. व्ही. एस. शोरूम के सामने,
रसुलिया, होशंगाबाद (म. प्र.).

(77-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि बचपन में हमारे पुत्र का नाम व्रिदित ए. जैन (Vridit A. Jain) था, जो उसकी समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में लिखा है. जिसे हमने बदलकर विदित जैन (Vidit Jain) रख लिया है. अत: भविष्य में हमारे पुत्र को नये नाम विदित जैन (Vidit Jain) के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जावे.

अशोक कुमार जैन (पिता)
रूपा ए. जैन (माता)
नागदेव मंदिर के पास,
जैन मन्दिर के नीचे, छत्री बाजार,
लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.).

(78-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शहडोल

शहडोल, दिनांक जून, 2012

क्र./18 भू-अभि./2012.—जिले के भीतर थाना चौकियों की सीमाओं के निर्धारण दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा-2 के खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2 (क)-15-99 बी-3-दो, दिनांक 11 अक्टूबर, 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2 (क)-9-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई, 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समिति की बैठक दिनांक 12 अप्रैल, 2012 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से—

एक—नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (1) में उल्लिखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं.

दो—सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है.

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है	स्थानीय क्षेत्र (ग्राम का नाम)		पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया है
1	2		3
पुलिस थाना चचाई, जिला अनूपपुर	1.	बटुरा	पुलिस थाना अमलाई, तहसील बुढार, जिला शहडोल.
	2.	बिछिया	
	3.	बेलिया	
	4.	बैरिहा	
	5.	रामपुर	
पुलिस थाना कोतमा, जिला अनूपपुर	6.	रमनाकन्हेर	पुलिस थाना तहसील जैतपुर, जिला शहडोल.

1	2		3
	7.	कुटेला	
	8.	कोलमी बडी	
	9.	ममरा	
	10.	तेन्दू टोला	
	11.	खरतोरा	
	12.	रैकोवा	
	13.	मिरकान	
	14.	कोलमी	
	15.	दरशिला	
	16.	खरूहा	
	17.	बिलटुकरी	
	18.	लेटरिया	
	19.	भुमकार	
	20.	छोटकी टोला	
	21.	सरई बहरा	
	22.	गोडिन बुडा	
	23.	छिनमार	
	24.	नागिन	
	25.	कदमहा	
	26.	घोरबन्धा	
	27.	भोंडा कछार आबाद	
	28.	भोंडा कछार आबाद	
	29.	भोंडा कछार बीरान	
	30.	टेंधा	
	31.	बोडरी डोल	
	32.	खॉडा	
	33.	खोह	
	34.	जमगांव	पुलिस थाना तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल.
पुलिस थाना तहसील बुढार, जिला शहडोल	35.	भागा	पुलिस थाना तहसील गोहपारू, जिला शहडोल.
	36.	गूढ़ा	
	37.	अकला	

1	2		3
	38.	घुरियाडोल	
	39.	कनवाही	
	40.	खैरी	
	41.	लफदा	
	42.	दुधरिया	
	43.	भोगड़ा	
	44.	मेहरौड़ी	
पुलिस थाना तहसील जयसिंह नगर, जिला शहडोल	45.	अमझोर	पुलिस थाना सीधी, तहसील जयसिंह नगर, जिला शहडोल.
	46.	गंधिया	
	47.	दरौड़ी	
	48.	बचहा	
	49.	डावाडहिया	
	50.	चितरांव	
	51.	झारा (झंडाटोला)	

नीरज दुबे,
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,
गृह (पुलिस).

(298)

निविदा सूचनाएं

जल विज्ञान परियोजना द्वितीय चरण

राष्ट्रीय प्रतियोगी निविदा

छोटे कार्य

होशंगाबाद, दिनांक 15 जून, 2012

नि.आ.सू.क्रमांक 01/एन.सी.बी./डब्ल्यू-9/डी.डी.-2/2012-13.—

1. भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/विश्व बैंक से जल निर्माण परियोजना हेतु ऋण प्राप्त हुआ है (नं. 4749 आई.एन.) से 105 मिलियन डालर राशि का कुछ भाग नीचे वर्णित कार्य के उपयुक्त भुगतान हेतु नियत किया गया है. ऐसे निविदाकार जो मध्यप्रदेश शासन या अन्य राज्य या भारत सरकार या राज्यों एवं भारत सरकार के उपक्रमों द्वारा पंजीकृत हों, निविदा डालने हेतु पात्र होंगे. आई.बी.आर.डी. मार्गदर्शिका में परिभाषित पात्र स्त्रोत देश (एलिजिबल सोर्स कन्ट्रीज) के ठेकेदार भी निविदा के पात्र होंगे. ठेके की प्राप्ति हेतु निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा प्रपत्र में निविदाकारों के लिये निर्देश की धारा-3 (तीन) के अन्तर्गत योग्यता मापदंड को नोट कर लें.

2. उप-संचालक, जल मौसम विज्ञान संभाग क्रमांक-2, होशंगाबाद मध्यप्रदेश तालिका में वर्णित कार्यों के लिये निविदाएं आमंत्रित करते हैं. निविदाकार चाहे तो तालिका में वर्णित समस्त पैकेज में निविदा दे सकता है या किसी भी एक पैकेज में या एक से अधिक पैकेज में भी निविदा दे सकता है.

3. निविदा-प्रपत्र (अतिरिक्त प्रति) (1) उप-संचालक, जल मौसम विज्ञान, संभाग क्र.-2, होशंगाबाद मध्यप्रदेश. (2) संचालक जल मौसम विज्ञान राज्य जल आंकड़ा केन्द्र, जल संसाधन विभाग, कोलार रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश. (3) प्रमुख अभियन्ता (बोधी) जल संसाधन विभाग, कोलार रोड, भोपाल से **दिनांक 25 जून, 2012 से दिनांक 25 जुलाई, 2012** तक अवकाश के दिनों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय प्रात: 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे के दौरान तालिका में वर्णित राशि का भुगतान कर क्रय की जा सकती है, जो राशि वापस देय नहीं होगी. तीन प्रतियां जो अग्रिम नगद मूल्य अथवा अधिसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जो कि उप-संचालक, जल मौसम विज्ञान, संभाग क्र.-2, होशंगाबाद मध्यप्रदेश के नाम रेखांकित हो, जमा करने पर प्राप्त की जा सकती है जो राशि वापस नहीं की जावेगी. इच्छुक निविदाकार अन्य जानकारी इसी पते पर प्राप्त कर सकते हैं. डाक द्वारा निविदा अभिलेख मंगाये जाने पर 200/- (दो सौ रुपये) अतिरिक्त देय मान्य होगा तथा डाक के विलम्ब या गुम होने की स्थिति में विभाग की कोई जवाबदारी नहीं होगी.

4. निविदा की वैधता निविदा जमा करने की निर्धारित दिनांक से 90 दिन तक मान्य होनी चाहिए.

5. निविदा दिनांक 26 जुलाई, 2012 को 15.00 बजे तक या उसके पूर्व उप-संचालक, जल मौसम विज्ञान, संभाग क्रमांक-2, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश को प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा उसी दिन 15.30 बजे निविदाकारों की उपस्थिति में जो उपस्थित रहने के इच्छुक हों, उनके सामने खोली जावेंगी. यदि कार्यालय निविदा खोलने की दिनांक को बंद रहता है तो निविदाएं कार्यालय खुलने के अगले दिवस पर उसी समय तथा उसी स्थान पर ग्रहण की जावेंगी व खोली जावेंगी.

6. अन्य विवरण निविदा-प्रपत्र में देखे जा सकते हैं.

7. निविदा सूचनाओं हेतु निविदाकारों को नियमित रूप से विभागीय वेबसाइट के पोर्टल को देखने की सलाह दी जाती है.

8. निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा. निविदा में संशोधन बाबत पृथक् से समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जावेगा.

9. निविदा की जानकारी विभाग की वेबसाइट **www.mp.gov.in/wrd** तथा **www.tender.gov.in/wrd** पर भी देखी जा सकती है.

तालिका

पैकेज नं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य अवधि	पंजीकृत ठेकेदार की न्यूनतम वांछित श्रेणी
1	2	3	4	5	6
		(रुपये लाख में)	(रुपये)		
ग्रुप-1.	वेनगंगा कछार के अन्तर्गत बालाघाट जिले में वेनगंगा नदी पर स्थित खैरी जी. डी. स्थल पर स्टिलिंग वेल का निर्माण कार्य.	4.65 लाख (रु. चार लाख पेंसठ हजार मात्र).	रु. 2000/- (रु. दो हजार मात्र).	कार्यादेश से 90 दिवस वर्षाकाल को छोड़कर.	सी-श्रेणी या इसके ऊपर.
ग्रुप-2.	वेनगंगा कछार के अन्तर्गत बालाघाट जिले में वेनगंगा नदी पर स्थित खैरी जी. डी. स्थल के चौकीदार हटमेट का निर्माण कार्य.	2.87 लाख (रु. दो लाख सत्यासी हजार मात्र).	रु. 2000/- (रु. दो हजार मात्र).	कार्यादेश से 90 दिवस वर्षाकाल को छोड़कर.	सी-श्रेणी या इसके ऊपर.

एम. के. लोवंशी,
उप-संचालक,
जल मौसम विज्ञान संभाग क्र.-2,
होशंगाबाद.

(304)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, परगना गुना

प्रारूप क्र.-4

[देखिये नियम-7 (1)]

प्र. क्र. 4/बी-113/2011-2012.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

न्यायालय लोक न्यासों का पंजीयक, परगना गुना, जिला गुना के समक्ष.

यतः कि न्यासधारी श्री मुरारी किरार पुत्र श्री बाबूलाल किरार, निवासी ग्राम परवाह, जिला गुना "श्री वल्लभ सत्संग मंडल न्यास", ग्राम परवाह, तहसील बमोरी, जिला गुना, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कथित आवेदन पर 03 मार्च, 2012 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम और पता	:	"श्री वल्लभ सत्संग मंडल न्यास", न्यासधारी श्री मुरारी किरार पुत्र श्री बाबूलाल किरार, निवासी ग्राम-परवाह.
चल सम्पत्ति	:	न्यास के पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है.
अचल सम्पत्ति	:	न्यास के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है.

धरणेन्द्र कुमार जैन,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(303)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक, आवास संघ कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून, 2012

क्र./परि./2012/क्यू-03.—आवास संघ कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल (पंजीयन क्रमांक 313, दिनांक 23 दिसम्बर, 1989) के समस्त सम्मानित सदस्यों को अवगत कराया जाता है कि उपायुक्त सहकारिता, जिला भोपाल के कार्यालयीन आदेश क्रमांक परि./1916, दिनांक 1 जून, 2012 द्वारा संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के तहत् अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है. उक्त आदेश के पालन में संस्था लेनदारियों/देनदारियों/आस्तियों का निराकरण संस्था की वर्तमान आर्थिक स्थिति/सक्षमता के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-71 के तहत् अन्तिम रूप से निराकरण किया जाना विचाराधीन है.

2. अतः संस्था के सर्व सम्बन्धित पक्षों, सदस्यों एवं अन्य सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं/पक्षों को इस सार्वजनिक सूचना (गजट नोटीफिकेशन) के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिस किसी की भी, कोई भी लेनदारी-देनदारी एवं अन्य दावे बकाया हों तो वह मय प्रमाण अपना दावा संस्था के प्रबंधक श्री उत्तम कुमार सक्सेना को कार्यालयीन समय अन्तर्गत निश्चित (समय दोपहर 12.00 बजे से दोपहर 4.00 बजे तक) 60 दिवस की निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत कर सकते हैं. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्रस्तुत किये जाने वाले दावे/आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा.

बी. डी. भारवानी,
परिसमापक.

(297)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., गावड़ी, तहसील तराना	645/27-01-1984

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का निर्धारित समयावधि में संस्था के किसी भी पदाधिकारी द्वारा न तो कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 14 फरवरी, 2012 तक कार्यालय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन किया गया. कार्यालयीन दस्तावेजों का अवलोकन किया गया. अवलोकन करने पर पाया कि संस्था अकार्यशील होकर बंद है और संस्था पदाधिकारी एवं सदस्यगण संस्था को चलाना नहीं चाहते हैं. इसलिए संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., गावड़ी, तहसील तराना	645/27-01-1984	श्री आर. एस. मेहर (स. नि.) सहकारिता विस्तार अधिकारी, तराना.

यह आदेश आज दिनांक 19 जून, 2012 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(299)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., मेढ़की तहसील महिदपुर	855/26-07-1989

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का निर्धारित समयावधि में संस्था के किसी भी पदाधिकारी द्वारा न तो कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 14 फरवरी, 2012 तक कार्यालय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन किया गया. कार्यालयीन दस्तावेजों का अवलोकन किया गया. अवलोकन करने पर पाया कि संस्था अकार्यशील होकर बंद है और संस्था पदाधिकारी एवं सदस्यगण संस्था को चलाना नहीं चाहते हैं. इसलिए संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., मेढ़की तहसील महिदपुर	855/26-07-1989	श्री मुकेश जोशी (स. नि.) सहकारिता विस्तार अधिकारी, महिदपुर.

यह आदेश आज दिनांक 19 जून, 2012 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(299-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., खजूरिया कुमावत, तहसील उज्जैन	471/25-08-1980

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का निर्धारित समयावधि में संस्था के किसी भी पदाधिकारी द्वारा न तो कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 14 फरवरी, 2012 तक कार्यालय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन किया गया. कार्यालयीन दस्तावेजों का अवलोकन किया गया. अवलोकन करने पर पाया कि संस्था अकार्यशील होकर बंद है और संस्था पदाधिकारी एवं सदस्यगण संस्था को चलाना नहीं चाहते हैं. इसलिए संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., खजूरिया कुमावत, तहसील उज्जैन.	471/25-08-1980	श्री आर. एल. नागर (स. नि.) सहकारिता विस्तार अधिकारी, उज्जैन.

यह आदेश आज दिनांक 19 जून, 2012 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(299-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये.

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., रोजवास, तहसील तराना	472/25-08-1980

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का निर्धारित समयावधि में संस्था के किसी भी पदाधिकारी द्वारा न तो कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 14 फरवरी, 2012 तक कार्यालय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन किया गया. कार्यालयीन दस्तावेजों का अवलोकन किया गया. अवलोकन करने पर पाया कि संस्था अकार्यशील होकर बंद है और संस्था पदाधिकारी एवं सदस्यगण संस्था को चलाना नहीं चाहते हैं. इसलिए संस्था को परिसमापन में लाना उचित होगा.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., रोजवास, तहसील तराना	472/25-08-1980	श्री आर. एस. मेहर (स. नि.) सहकारिता विस्तार अधिकारी, तराना.

यह आदेश आज दिनांक 19 जून, 2012 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(299-C)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., रोजड़ी, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1095, दिनांक 17 मई, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 214, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 14 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक इन्दौर दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री आर. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(300)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवरी, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 507, दिनांक 13 अप्रैल, 1983 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 212, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 14 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. डी. पंथी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री ए. डी. पंथी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(300-A)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरइ, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 671, दिनांक 25 अगस्त, 1989 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 224, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 14 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. आर. शेख, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एम. आर. शेख, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(300-B)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टप्पा सुकल्या, तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 880, दिनांक 7 मार्च, 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 224, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक ..... तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. जायसवाल, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री आर. सी. जायसवाल, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(300-C)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जमोन्या, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 670, दिनांक 25 अगस्त, 1989 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 208, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 14 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. आर. शेख, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एम. आर. शेख, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(300-D)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोनकच्छ, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1044, दिनांक 17 जनवरी, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 221, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 14 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री वी. पी. द्विवेदी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री वी. पी. द्विवेदी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(300-E)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुड़ी, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक..... दिनांक..... है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 223, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 14 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री वी. पी. द्विवेदी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री वी. पी. द्विवेदी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(300-F)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अर्निया ठिकाना, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1084, दिनांक 3 अगस्त, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 226, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 14 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एस. चौधरी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री आर. एस. चौधरी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(300-G)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिड़ावद, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1175, दिनांक 10 मई, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 261, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 14 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता

हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. आर. चौबे, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एम. आर. चौबे, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(300-H)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुमराखेड़ी, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1145, दिनांक 15 मई, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 263, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 14 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री के. आर. चौबे, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री के. आर. चौबे, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(300-I)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुरम्या, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 548, दिनांक 07 मई, 1984 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 215, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 13 जून, 2012, 14 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. डी. पंथी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री ए. डी. पंथी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(300-J)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डेहरिया, तहसील कन्नौद, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1059, दिनांक 19 मई, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 262, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त

भी आज दिनांक 13 जून, 2012, 14 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एन. के. सोनी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एन. के. सोनी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(300-K)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवपिपल्या, तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 442, दिनांक 06 अगस्त, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 216, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 19 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. जैन, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(300-L)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69, 70, 71 के अन्तर्गत)

इंदिरा महिला प्राथमिक सहकारी उप. भण्डार मर्या., पीपलरांवा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1025, दिनांक 25 जुलाई, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 249, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 19 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप-अंकेक्षक, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप-अंकेक्षक, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(300-M)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

आकाश महिला प्राथमिक सहकारी उप. भण्डार मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 957, दिनांक 7 जुलाई, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 246, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 19 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप-अंकेक्षक, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(300-N)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

रचना महिला प्राथ. सहकारी उप. भण्डार मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 986, दिनांक 25 सितम्बर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 324, दिनांक 24 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 17 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 19 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा- 70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती अनिता मेहरा, सहकारी निरीक्षक, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्रीमती अनिता मेहरा, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(300-O)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

मार्जिन फी महिला प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 958, दिनांक 9 जुलाई, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 247, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 19 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के

अन्तर्गत श्री विनोद कुमार गोसाईं, उप-अंकेक्षक, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री विनोद कुमार गोसाईं, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(300-P)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

नेशनल महिला प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 926, दिनांक 7 मार्च, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 245, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 19 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती अनिता मेहरा, सहकारी निरीक्षक, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्रीमती अनिता मेहरा, सहकारी निरीक्षक, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(300-Q)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

नैना महिला प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 948, दिनांक 10 मई, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 248, दिनांक 18 फरवरी, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2012 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 19 जून, 2012 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार गोसाईं, उप-अंकेक्षक, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री विनोद कुमार गोसाईं, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें..

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

(300-R)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

माँ गायत्री महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., लोधीटोला, पं. क्र. 626, दिनांक 29 अक्टूबर, 2002 विकासखण्ड वारासिवनी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/उपंबा/परि./2011/384, बालाघाट, दिनांक 8 अप्रैल, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन प्रस्तुत करें संस्था के संचालक मंडल द्वारा नियत अवधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया और न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-6-79-एक-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को परिसमापन में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. आर. डोंगरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, वारासिवनी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अंतिम प्रतिवेदन 2 माह की अवधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश दिनांक 14 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(301)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बल्लारपुर, पं. क्र. 579, दिनांक 31 मार्च, 1997 विकासखण्ड लालबर्रा, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/उपंबा/परि./2011/385, बालाघाट, दिनांक 8 अप्रैल, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन प्रस्तुत करें संस्था के संचालक मंडल द्वारा नियत अवधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया और न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-6-79-एक-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को परिसमापन में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री पी. आर. डोंगरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, लालबर्रा को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अंतिम प्रतिवेदन 2 माह की अवधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश दिनांक 14 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(301-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., जराही, पं. क्र. 493, दिनांक 22 नवम्बर, 1993 विकासखण्ड किरनापुर, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/उपंबा/परि./2011/....., बालाघाट, दिनांक 8 अप्रैल, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन प्रस्तुत करें संस्था के संचालक मंडल द्वारा नियत अवधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया और न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-6-79-एक-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को परिसमापन में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती प्रतिमा सरियाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, किरनापुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अंतिम प्रतिवेदन 2 माह की अवधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश दिनांक 14 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(301-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्या., पारडी, पं. क्र. 499, दिनांक 18 जनवरी, 1994 विकासखण्ड किरनापुर, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/उपंबा/परि./2011/394, बालाघाट, दिनांक 8 अप्रैल, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन प्रस्तुत करें संस्था के संचालक मंडल द्वारा नियत अवधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया और न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-6-79-एक-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को परिसमापन में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती प्रतिमा सरियाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, किरनापुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अंतिम प्रतिवेदन 2 माह की अवधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश दिनांक 14 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(301-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

दुग्ध सहकारी समिति मर्या., दहेदी, पं. क्र. 573, दिनांक 31 मार्च, 1997 विकासखण्ड किरनापुर, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट को कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/उपंबा/परि./2011/391, बालाघाट, दिनांक 8 अप्रैल, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयावधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन प्रस्तुत करें संस्था के संचालक मंडल द्वारा नियत अवधि में न तो कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर

प्रस्तुत किया और न ही उक्त के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया. इससे स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संचालक मण्डल सहमत है तथा संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उसे अस्तित्व में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-6-79-एक-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. पी. चक्रवर्ती, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बालाघाट उक्त संस्था को परिसमापन में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती प्रतिमा सरियाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी, किरनापुर को परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अंतिम प्रतिवेदन 2 माह की अवधि में आवश्यक रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश दिनांक 14 जून, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. पी. चक्रवर्ती,
उप-रजिस्ट्रार.

(301-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिलोदामोरी, तहसील उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./यू.जे.एन./865, दिनांक 26 जुलाई, 1989 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट) के पत्र क्रमांक/अंके./146, दिनांक 1 जुलाई, 2011 द्वारा संस्था को अकार्यशील बताया गया है. तत्पश्चात् कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./151, दिनांक 20 जनवरी, 2012 से संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया तथा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 14 फरवरी, 2012 नियत की गई थी. श्री एच. सी. पाटीदार, पर्यवेक्षक, दुग्ध सहकारी संघ उज्जैन द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2012 को प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया कि संस्था विगत 5 वर्षों से अकार्यशील थी एवं विगत वर्षों में अकार्यशील होने से संस्था के निर्वाचन नहीं हो सकते, इससे स्पष्ट है कि संस्था के पदाधिकारियों द्वारा संस्था को कार्यशील बनाने में कोई रुचि नहीं रखते हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (क/ग) तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 20 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिलोदामोरी जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./यू.जे.एन./865, दिनांक 26 जुलाई, 1989 है, जिसको परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत आस्तियों/दायित्वों के नियमानुसार निराकरण करने हेतु श्री आर. एल. नागर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड उज्जैन को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(302)

[सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

महिला जीवन विकास सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./यू.जे.एन./53, दिनांक 18 अक्टूबर, 1956 है, निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन अनुसार निर्वाचन हेतु सदस्य सूची उपलब्ध नहीं करायी गई, इसलिये निर्वाचन करवाया जाना सम्भव नहीं है. सहायक पंजीयक (ऑडिट) टीप अनुसार वर्ष 1993-94 से अकार्यशील है. तत्पश्चात् कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./105, दिनांक 16 जनवरी, 2012 से संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया तथा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 6 फरवरी, 2012 नियत की गई थी. उक्त सूचना-पत्र तामील होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से नियत दिनांक को कोई उपस्थित नहीं हुआ है तथा न ही सूचना-पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया है. इससे स्पष्ट है कि संस्था पदाधिकारी संस्था को निरन्तर कार्यशील बनाये रखने हेतु रुचि नहीं रखते हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 20 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा महिला जीवन विकास सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./यू.जे.एन./53, दिनांक 18 अक्टूबर, 1956 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत आस्तियों/दायित्वों के नियमानुसार निराकरण करने हेतु श्री आर. एल. नागर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड उज्जैन को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(302-A)

[सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

गोल्डन सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./यू.जे.एन./1620, दिनांक 06 नवम्बर, 2003 है, निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार संस्था के निर्वाचन हेतु सदस्य सूची उपलब्ध नहीं करायी गई, जिससे निर्वाचन करवाया जाना सम्भव नहीं है. इसके साथ सहायक पंजीयक (ऑडिट) से प्राप्त टीप अनुसार संस्था वर्ष 2005-2006 से अकार्यशील है. कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./104, दिनांक 16 जनवरी, 2012 से संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया तथा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 6 फरवरी, 2012 नियत की गई थी. उक्त सूचना-पत्र तामील होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से नियत दिनांक को कोई उपस्थित नहीं हुआ है तथा न ही सूचना-पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया है. इससे स्पष्ट है कि संस्था पदाधिकारी संस्था को निरन्तर कार्यशील बनाये रखने हेतु रुचि नहीं रखते हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 20 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा गोल्डन सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./यू.जे.एन./1620, दिनांक 06 नवम्बर, 2003 है, को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत आस्तियों/दायित्वों के नियमानुसार निराकरण करने हेतु श्री आर. एल. नागर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड उज्जैन को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(302-B)

[सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (2) (क/ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पलवा, तहसील महिदपुर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./यू.जे.एन./1500, दिनांक 27 जुलाई, 1980 है, कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट) के पत्र क्रमांक/अंके./146, दिनांक 1 जुलाई, 2011 द्वारा संस्था को अकार्यशील बताया गया है. तत्पश्चात् कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./151, दिनांक 20 जनवरी, 2012 से संस्था को अधिनियम की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया तथा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 14 फरवरी, 2012 नियत की गई थी. संस्था के अध्यक्ष श्री जीवन डाबी द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2012 को प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया, जो संतोषप्रद नहीं पाया गया. संस्था के पदाधिकारियों द्वारा संस्था को कार्यशील बनाने में कोई रुचि नहीं हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 20 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पलवा जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./यू.जे.एन./1500, दिनांक 27 जुलाई, 1980 है, जिसको परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत आस्तियों/दायित्वों के नियमानुसार निराकरण करने हेतु श्री मुकेश जोशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड महिदपुर को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(302-C)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई 2012-आषाढ़ 22, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

2. **जुताई.**—जिला प. निमाड़, बड़वानी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**— . .

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**—जिला पूर्व निमाड़, रायसेन, होशंगाबाद में फसल गेहूँ व गुना, झाबुआ, विदिशा, बैतूल में गेहूँ, चना व भोपाल में गेहूँ, चना, मसूर व नीमच में गेहूँ, चना, राई-सरसों व पन्ना में मसूर, अलसी, राई, अरहर, चना, गेहूँ, मटर व देवास, मण्डला तथा जिला दमोह, अनूपपुर, धार, इंदौर, हरदा, सिवनी में रबी मौसम की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, सागर, सतना, शहडोल, सिंगरौली, झाबुआ, भोपाल, रायसेन, छिन्दवाड़ा में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) ज्वार, सोयाबीन, राई-सरसों, गेहूँ समान.		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, अलसी समान.		
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, उड़द, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली अधिक. तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) . .		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, मटर, अलसी समान.		
3. भाण्डेर	. .				
***जिला शिवपुरी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पिछोर	. .		(2) . .		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर : 1. मुँगावली 2. ईसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चन्देरी 5. शाढौरा	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) चना, राई-सरसों अधिक. गेहूँ, मसूर कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
जिला गुना : 1. गुना 2. राघोगढ़ 3. बमोरी 4. आरोन 5. चाचौड़ा 6. कुम्भराज	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला टीकमगढ़ : 1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बल्देवगढ़ 6. पलेरा 7. ओरछा	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) चना, जौ, गेहूँ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला छतरपुर : 1. लौण्डी 2. गौरीहार 3. नौगांव 4. छतरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर 7. बड़ामलहरा 8. बकस्वाहा	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) . . (2) गेहूँ समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला पन्ना : 1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पवई 5. शाहनगर	मिलीमीटर	2. मसूर, अलसी, राई, अरहर, चना, गेहूँ, मटर की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) बाजरा, मक्का, सोयाबीन, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, प्याज अधिक. धान, ज्वार, तुअर, उड़द, जौ, अलसी, आलू कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
जिला सागर : 1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) गेहूँ, चना, जौ, अलसी, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, मटर, आलू, प्याज समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		राई-सरसों सुधरी हुई.		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. तुअर कम. जौ	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) . .		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) अलसी अधिक. मसूर कम. तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		जौ, चना, गेहूँ, राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सेमरिया	. .		(2) . .		
4. मऊगंज	. .				
5. मनगवां	. .				
6. हनुमना	. .				
7. जवा	. .				
8. हजूर	. .				
9. गुढ़	. .				
10.रायपुरकर्चुलियान	. .				
11. नईगढ़ी	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ,	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .		मटर समान.		
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .	कार्य चालू है.	4. (1) अलसी, गेहूँ, मटर अधिक. अरहर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		अलसी अधिक. मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .		(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर,	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .		. मसूर, लाख, तिवड़ा, जौ, गेहूँ		
4. कुसमी	. .		समान.		
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		अधिक. तुअर, मसूर, आलू, जौ,	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .		मटर समान.		
			(2) . .		
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुबासराटप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, राई-सरसों, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		ज्वार, तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .		(2) . .		
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
7. धुन्धड़का	. .				
8. शामगढ़	. .				
9. संजीत	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, राई-सरसों की	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		अलसी समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .		(2) . .		
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ौदिया	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		आलू समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .		(2) . .		
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, आलू, प्याज अधिक. चना, जौ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	. .	
3. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, कपास, सोयाबीन, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		(2) . .		
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना, गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
8. वरला	. .				
9. अंजड़	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) गेहूँ, चना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, राई-सरसों	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		अधिक. गन्ना, चना कम. तुअर	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		समान.		
4. ब्यावरा	. .		(2) . .		
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. रबी फसल गेहूँ, चना की	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) गेहूँ, चना, मसूर, लाख, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना, मसूर की	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
			(2) . .		
***जिला सीहोर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आष्टा	. .		(2) . .		
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, मटर अधिक. जौ, चना, मसूर, तिवड़ा, सरसों, अलसी, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .		4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) गेहूँ, चना, मसूर, मटर सुधरी हुईं.		
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. रबी मौसम की फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) गेहूँ समान.		
3. टिमरनी	. .				
4. हण्डिया	. .				
5. रहटगांव	. .				
6. सिराली	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) गेहूँ, अलसी, चना सुधरी हुईं.		
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
***जिला कटनी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. रीठी	. .		(2) . .		
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .		मूँग, सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना,		
4. गोटेगांव	. .		मटर समान.		
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .	है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई,	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .		अलसी, जौ सुधरी हुई.		
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
***जिला डिण्डोरी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. शाहपुरा	. .		(2) . .		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तुअर,	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .		कपास समान.		
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी मौसम की कटाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सिवनी	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, अलसी अधिक. चना, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		तिवड़ा, लाख, राई-सरसों कम.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	. .		(2) . .		
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. धनोरा	. .				
8. छपारा					
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) गेहूँ, चना, अलसी, मटर, लाख,	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	. .		तिवड़ा.		
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला शिवपुरी, रतलाम, सीहोर, कटनी, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(296)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.